भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2015
जिसका उत्तर गुरुवार, 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

खेलों में जुआ खेले जाने के संबंध में विधि आयोग की रिपोर्ट

2015. श्रीमती विजिला सत्यानंत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विधि आयोग ने इस बात का उल्लेख करते हुए सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है कि चूंकि गैर-कानूनी जुआ खेलने को रोकना असंभव है, अतः एक मात्र व्यवहार्य विकल्प यही बच जाता है कि खेलों में जुआ खेले जाने को विनियमित कर दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पैनल सरकार से यह चाहती थी कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए जुआ संबंधी लेन-देन की संख्या की अधिकतम सीमा लागू कर दे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : भारत के विधि आयोग ने "कानूनी संरचना : द्युत और खेलों में दांव जिसके अंतर्गत भारत में क्रिकेट में दाँव भी है" नामक शीर्षक से 276 वीं रिपोर्ट 05.07.2018 को सरकार को प्रस्तुत की । रिपोर्ट के पृष्ठ 115 (हिन्दी में पृष्ठ 104) पर पैरा 9.7 में यह सुदृढ़ता और सुस्पष्ट रूप से सिफ़ारिश की गई है कि, वर्तमान परिदृश्य में दाँव और द्युत को वैध बनाया जाना भारत में वांछनीय नहीं है और विधि

विरुद्ध दाँव और द्युत पर पूर्ण वर्जन लगाया जाना आवश्यक रूप से सुनिश्चित होना चाहिए। तथापि, पैरा 9.8 में, यह सिफ़ारिश की गई है कि, यदि पूर्णतः वर्जन को प्रवर्तित करना संभव नहीं है तो विधि विरुद्ध क्रिया कलापों को निवारित करने के लिए इस क्रियाकलाप को विनियमित करना ही एकमात्र व्यवहार्य विकल्प है। आयोग ने इस प्रकार दाँव और द्युत पर पूर्ण पाबंदी के एक विकल्प के रूप में अनेक विनियमों की सिफ़ारिश की है, जिसके अंतर्गत यह भी है कि, उन संव्यवहारों की संख्या पर नियंत्रण होना चाहिए जिसमें कोई व्यक्ति एक खास अवधि में इन क्रियाकलापों में लग सकता है। भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पूर्वोक्त रिपोर्ट वर्तमान में खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की परीक्षा के अधीन है।

****